न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी – मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या– 2025/177

प्रद्युम्न कुमार आत्मज कान्हा जाति मीणा निवासी ग्राम विनोद कलां तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान – **अपीलांट**

बनाम

1. मु0 कल्याणी बाई पुत्री रामा जाति मीणा निवासी ग्राम तहरोली तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील सांगोद जिला कोटा
3. कमलेश पुत्री वीरभान पत्नि तोलाराम जाति मीणा निवासी ग्राम कुंडी पोस्ट ख्यावदा तहसील किशनगंज जिला बारां राज0
4. कृष्ण मुरारी पुत्र स्वर्गीय वीरभान जाति मीणा निवासी ग्राम मालीहैड़ पोस्ट विनोद खुर्द तहसील सांगोद जिला कोटा
5. मेना बाई पुत्री वीरभान पत्नि अजीत जाति मीणा निवासी ग्राम बेंगना पोस्ट बेंगना तहसील बारां जिला बारां राज0
6. मोहनलाल पुत्र पांथूलाल जाति मीणा निवासी ग्राम मालीहैड़ा पोस्ट विनोदखुर्द तहसील सांगोद जिला कोटा
7. रूकमणी पुत्री पांथूलाल पत्नि रामकिशन जाति मीणा निवासी ग्राम बोखड़ा (दीवाली) पोस्ट
8. गोरधनी मृतक(नाम तर्क किया गया) –**रेस्पोडेन्टगण**

उपस्थित वक्त बहस–1. श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता, अभिभाषक अपीलांट की ओर से ।
2. श्री सौरभ सुमन, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से।

दिनांक 31.07.2025

निर्णय

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अतंर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा के प्रकरण संख्या 66/2000 मे पारित निर्णय व डिकी दिनांक 09.04.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा एक वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर कथन किया कि ग्राम

विनोद कलां तहसील सांगोद में वादी के स्वामित्व और कब्जे काश्त की खसरा संख्या 112(बीडा) की 3 बीघा 9 बिस्वा किस्म माल, खसरा नम्बर 164(पांच्या) की रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा किस्म माल, खसरा नम्बर 232 की रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 313 रकबा 10 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 11 बीघा 13 बिस्वा आराजीयात स्थित है, जो वर्तमान राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी संख्या 1 कल्याणी के खाते दर्ज है। वादपत्र की मद संख्या 1 में वर्णित आराजीयात मूलतः कान्हा वल्द रामा व उसकी बहिन प्रतिवादी संख्या 1 कल्याणी बाई के संयुक्त खाते की थी, जिसको स्वर्गीय कान्हा जी ने अपने जीवनकाल में तथा प्रतिवादी संख्या 1 कल्याणी बाई ने दिनांक 05.10.1970 को वादी को 1000 रूपये में विक्रय कर दी थी, विक्रय का पंजीयन भी वादी के हक में करा दिया था तब से ही वादी काबिज होकर काश्त कर रहा है। वादपत्र की मद संख्या 1 में वर्णित आराजीयात उक्त वक्त के खातेदारान कान्हा जी व प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी के हक में विक्रय का पंजीयन दिनांक 05.10.1970 को करने के बाद से वादी काबिज होकर काश्त कर रहा है, वादी उक्त विक्रय के पंजीयन के आधार पर उक्त आराजी का इंतकाल अज्ञानता वश अपने नाम तस्दीक नहीं करवा सका, जिससे उक्त आराजी वादी के खाते दर्ज नहीं हुई तथा आज से करीब 18 वर्ष पूर्व कान्हा जी का देहान्त होने के बाद उक्त आराजीयात उनकी एक मात्र बहिन प्रतिवादी संख्या 1 कल्याणी बाई होने से उसके स्थान पर कल्याणी बाई का नाम राजस्व अभिलेखो में अंकित हो गया। विवादित आराजीयात को वक्त खरीद दिनांक 05.10.1970 से ही वादी के स्वामित्व में निहित हो चुकी है, जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 अन्य किसी व्यक्ति का कोई विधिक स्वत्व निहित नहीं रहता, वादी के कब्जे काश्त को आज दिन तक किसी ने भी चुनौती नहीं दी, इसलिये वादी उक्त आराजी को अपने खाते दर्ज करवाने की कार्यवाही नहीं कर सका। लेकिन आज से 10 दिन पूर्व प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा विवादित आराजी को खुर्द–बुर्द करने तथा दीगर को बेचान करने की धमकी दी गई। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक हो गया है कि वादी विवादित आराजीयात को प्रतिवादी संख्या 1 एवं पूर्व खातेदार कान्हा द्वारा वादी के हक में दिनांक 05.10.1970 को कराये गये पंजीयन के आधार पर वादी विवादित आराजीयात का खातेदार होने की घोषणा की डिक्री पारित करावे, साथ ही इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री अपने पक्ष में व प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध पारित करावे कि वादपत्र की मद संख्या 1 में वर्णित आराजी को प्रतिवादी संख्या 1 किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी प्रकार से हस्तांतरित नहीं करें। अन्त में वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 1 कल्याणी बाई का नाम विलोपित किया जाकर वादी को खातेदार घोषित किए जाने की निर्णय व डिक्री पारित किए जाने तथा प्रतिवादी संख्या 1 वादग्रस्त आराजी को किसी प्रकार से दीगर व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं करें इस बाबत प्रतिवादी संख्या 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किए जाने तथा अन्य न्यायोचित सहायता प्रदान किए जाने का निवेदन किया।

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 09.04.2025 को वादीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र खारिज किए जाने की निर्णय व डिक्री पारित की ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.04.2025 से व्यथित होकर अपीलान्टगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.04.2025 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 09.04.2025 को निरस्त फरमाया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस मे अपील मेमो में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि निर्णय एवं अंतिम डिक्री जैर अपील विधि, न्याय एवं पत्रावली के रिकार्ड पर स्थित तथ्यों के सर्वथा प्रतीकूल होने से खारिज किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दावा बाबत हक घोषणा खातेदारी एवं इन्द्राज दुरूस्ती दावा सिद्ध करने में असफल रहना मानकर खारिज फरमाने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने गोर नही फरमाया कि वादी अपीलांट ने ग्राम विनोदकलां पटवार हल्का मालीहैडा हाल पटवार हल्का विनोद खुर्द तहसील सांगोद जिला कोटा की खसरा नम्बर–112 की 3 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर–164 की 6 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर–232 की 1 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर–313 की 10 बिस्वा जुमला 4 किता की 11 बीघा 13 बिस्वा भूमि को पूर्व खातेदारान कान्हा पुत्र रामा जाति मीणा एवम कल्याणी बाई पुत्री रामा जी जाति मीणा निवासी ग्राम तहरोली तहसील सांगोद जिला कोटा ने अपीलाण्ट को दिनांक 5–10–70 को जरये पंजीकृत विक्रय–पत्र बैचान कर कब्जा संभला दिया था। पंजीकृत विक्रय–पत्र के आधार पर अपीलाण्ट कानूनन उपरोक्त भूमि का खातेदार टीनेन्ट हो गया है। वक्त खरीद से ही अपीलाण्ट उपरोक्त खरीदशुदा भूमि पर निरन्तर काबिज चला आ रहा है एवम वर्तमान में भी काबिज है। वादी अपीलाण्ट उपरोक्त भूमि का सद्भावी क्रेता है। वर्तमान सेटलमेन्ट में उपरोक्त भूमि के नये खसरा नम्बर–267 रकबा 0.56 हैक्टयर, खसरा नम्बर–366 रकबा 1.05 है0, खसरा नम्बर–369 रकबा 0.19 है०, खसरा नम्बर–539 रकबा 0.08 है0 जुमला 4 किता की 1.88 हैक्टयर रकबा कायम हुआ है। वर्तमान में अपील विषयक भूमि ग्राम विनोदकलां पटवार हल्का विनोदखुर्द तहसील सांगोद में स्थित है।

वादी अपीलांट एवम प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट नम्बर–1 ने स्वेच्छा से बिना किसी दबाव के अधीनस्थ न्यायालय में राजीनामा प्रस्तुत किया था। उक्त राजीनामे में प्रतिवादी रेस्पोडेंट नम्बर–1 ने वाद विषयक अपील विषयक भूमि को स्वयं एवम सहखातेदार प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट नम्बर–1 के भाई कान्हा आत्मज रामा द्वारा वादी अपीलाण्ट की जरये पंजीकृत विक्रय–पत्र बैचान कर कब्जा संभलाया गया था, इस तथ्य को स्वीकार किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजीनामा तस्दीक भी फरमा दिया गया था. इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सर्वथा गलत रूप से मनमाने तौर पर दावा अपीलाण्ट खारिज फरमाने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय को बरूये राजीनामा दावा वादी अपीलाण्ट डिक्री फरमाना चाहिये था। सहखातेदार कान्हा आत्मज रामा की लाऔलाद मृत्यु हो गई थी, उसकी पत्नी भी नही है। वक्त दायरी दावा वाद विषयक भूमि प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट नम्बर–1 के तनहा खाते में दर्ज थी। कान्हा आत्मज रामा सहखातेदार की मृत्यु हो जाने से प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट नम्बर–1 उसकी एक मात्र उत्तराधिकारी है। प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट नम्बर–1 कल्याणी बाई पुत्री रामा जी जाति मीणा निवासी ग्राम तहरोली तहसील सांगोद जिला कोटा जीवित है। दौराने दावा इन्तकाल नम्बर–712 दिनांक–7–6–2019 से राजस्व कर्मचारियो की गलती से कल्याणी बाई को मृतक होना बतलाकर वादग्रस्त आराजीयात अन्य असम्बन्धित व्यक्तियो कमलेश, कृष्ण मुरारी, गोरधनी बाई, मेना बाई, मोहनलाल व रूकमणी बाई के संयुक्त खाते में विधि विरूद्ध रूप से दर्ज कर दी गई थी। राजस्व अभिलेख जमाबन्दी के उक्त इन्द्राजात सर्वथा गलत त्रुटिपूर्ण प्रभावशून्य एवम विधि विरूद्ध है। अन्य महिला कल्याणी पुत्री रामा उर्फ रामलाल पत्नी पाथूलाल जाति मीणा निवासी ग्राम मालीहैडा की मृत्यु हुई थी। उक्त महिला नहीं थी। उक्त महिला की ग्राम विनोदकला में कोई कृषि भूमि नही थी। उक्त महिला की कृषि भूमि मालीहैडा एवं ग्राम बम्बूलिया में स्थित थी। उक्त महिला कल्याणी पुत्री रामा उर्फ रामलाल पत्नि पांथूलाल जाति मीणा निवासी ग्राम मालीहैडा की मृत्यु दिनांक 31–08–18 को हुई थी, इसके उपरान्त भी प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट नम्बर–न को मृत्यु हो जाना बतलाकर वाद विषय अपील विषयक भूमि दौराने दावा राजस्व कर्मचारियो की गलती से उसके वारिसान कमलेश, कृष्ण मुरारी, गोरधनी बाई, मेना बाई, मोहनलाल व रूकमणी के संयुक्त खाते में अवैध रूप से दर्ज की गई थी। उक्त इन्द्राजात प्रभावशून्य एवम व्यर्थ है। पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामे को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तस्दीक फरमा दिया गया था, वर्णित परिस्थितियो में अधीनस्थ न्यायालय को रूबये राजीनामा वादी अपीलाण्ट को वाद विषयक, अपील विषयक, भूमि का खातेदार टीनेन्ट घोषित फरमाकर दावा डिक्री फरमाना चाहिये था। विकल्प में यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय को यदि रूबये राजीनामा प्रकरण का निस्तारण नही करना था, तो अधीनस्थ न्यायालय को दावे में बहस समाअत कर गुणावगुण पर दावे का निर्णय करना चाहिये थां यहां यह उल्लेखनीय है कि वादी अपीलाण्ट की ओर से सम्पूर्ण साक्ष्य हो गई थी तथा प्रकरण साक्ष्य प्रतिवादी में नियत था। पक्षकारान में राजीनामा हो चुका था, अतः अधीनस्थ न्यायालय को दावे का गुणावगुण पर निर्णय करना चाहिये था। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 09.04.2025 निरस्त

किए जाने तथा वादी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर वादी अपीलांट को वाद विषयक आराजीयात का खातेदार टीनेन्ट घोषित फरमाया जाकर निर्णय एवं डिक्री पारित फरमाया जावे। बसूरत दीगर प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को बहस समाअत कर दावा गुणावगुण पर निर्णित करने के लिये प्रतिप्रेषित फरमाया जावे। अन्य सहायता जो न्याय संगत हो वादी अपीलाण्ट को प्रदान फरमाई जावे। अपनी बहस के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की ओर से न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी. 1993 पेज 821, आर.आर.डी. 1986 पेज 642, आर.एल.डब्ल्यु. 2007(1) आर.जे. पेज 348, आर.आर.डी. 1979 पेज 1 प्रस्तुत किए। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.04.2025 निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

7. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के पिता श्री रामा वल्द नेनगा के नाम सम्वत् 2022 से 2025 की जमाबंदी में दर्ज खाता थी, उनके स्वर्गवास के पश्चात नामान्तरकरण संख्या 85 से वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी संख्या 1 कान्हा के नाम खाते दर्ज हुई। जमाबंदी सम्वत् 2026 से 2041 के अनुसार वादग्रस्त आराजी कान्हा व प्रतिवादी संख्या 1 का नाम खाते दर्ज हुई तथा नामान्तरकरण संख्या 352 दिनांक 27.01.1983 से कान्हा की मृत्यु हो जाने से प्रतिवादी संख्या 1 के खाते दर्ज हुई तथा वर्तमान में भी वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के खाते दर्ज है। कान्हा व प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने विवादित आराजी को कभी बेचान नहीं किया है। वादग्रस्त आराजी के सम्बंध में वादी अपीलांट के विरूद्ध प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से एक वाद 11/72 उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसका समर्थन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के भाई कान्हा ने अपने जवाबदावे में किया था। उक्त वाद संख्या 11/72 में न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम की गई, साक्ष्य लिए गए तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत वाद संख्या 11/72 को स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री किया गया। निर्णय व डिक्री की पालना के दौरान रेस्पोडेन्ट के भाई कान्हा की मृत्यु हो गई तथा समस्त आराजी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम एकमात्र उत्तराधिकारी होने के कारण दर्ज हो गई। अतः ऐसी स्थिति में उसी आराजी के सम्बंध मे वादी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत होने से रेज्युडिकेटा के आधार पर खारिज किए जाने योग्य है। वादग्रस्त आराजी ना तो अपीलांट की खातेदारी की भूमि है और ना ही वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट का कब्जा काश्त है। अपीलांट द्वारा जिस तथाकथित विक्रय–पत्र के आधार पर वादग्रस्त आराजी में स्वयं का हक अधिकार होने का कथन किया गया है, उक्त विक्रय–पत्र दिनांक 05.10.1970 अवैध एवं बनावटी है। उक्त फर्जी विक्रय–पत्र के आधार पर अपीलांट वादग्रस्त आराजी में किसी प्रकार का हक अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। उक्त फर्जी विक्रय–पत्र के आधार पर वादी के पिता ने नामन्तरकरण खुलवाने का प्रयास किया परन्तु सरपंच द्वारा जांच करने पर उक्त विक्रय–विलेख दिनांक 05.10.1970 को फर्जी पाया जाने पर इन्तकाल वादी के पक्ष में नहीं खोला गया। उक्त

राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

मूल विक्रय–पत्र आज तक अपीलांट द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपीलांट द्वारा तथ्यों को छुपाकर फर्जी दस्तावेज के आधार पर वादग्रस्त भूमि में स्वयं का हक अधिकार निहित होने का कथन किया गया है अतः अपीलांट न्यायालय में स्वच्छ हस्तों से नहीं आया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.04.2025 विधि सम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है। अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.04.2025 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

8. हमने उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों व राजस्व रिकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया।

अपील के विचारधीन रहते हुए विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया जाकर निवेदन किया गया कि प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज प्रश्नगत प्रकरण से सुसंगत दस्तावेज है तथा अपील के न्यायिक निस्तारण में सहायक है। प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज जेन्युईन है तथा इन किसी प्रकार का सन्देह नहीं किया जा सकता है। अतः न्यायहित प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लिया जाना आवश्यक है। अन्त में प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र वास्ते दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने बाबत स्वीकार किया जाकर प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लिए जाने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होने का कथन किया गया ।

हमने प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र वास्ते दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने बाबत व उसके साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति है जिस पर किसी प्रकार का सन्देह नहीं किया जा सकता है। उक्त दस्तावेज प्रकरण से सुसंगत है अतः न्यायहित में प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज को रिकॉर्ड पर लिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी अपीलांट की ओर से

कोटा

प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र वास्ते दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने बाबत स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज को रिकॉर्ड पर लिया जाता है।

अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत वाद में वादी प्रद्युम्न कुमार द्वारा वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम विनोद कलां तहसील सांगोद की खसरा सख्या 112, 164, 232, 313 कुल किता 4 कुल रकबा 11 बीघा 13 बिस्वा आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कल्याणी बाई का नाम विलोपित किया जाकर वादी अपीलांट को खातेदार घोषित किए जाने तथा प्रतिवादी संख्या 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किए जाने का अनुतोष चाहा गया है। वादी अपीलांट का कथन है कि वादग्रस्त आराजी कान्हा वल्द रामा व उसकी बहिन प्रतिवादी संख्या 1 कल्याणी के संयुक्त खाते की आराजी थी जिसे कान्हा व कल्याणी द्वारा वादी अपीलांट को दिनांक 05.10.1970 को पंजीकृत विक्रय–पत्र द्वारा हस्तांतरित किया जाकर कब्जा सुपुर्द किया जा चुका है, अतः वादग्रस्त आराजी अपीलांट की खरीदशुदा भूमि है। अपने कथनों के समर्थन में वादी अपीलांट द्वारा पंजीकृत विक्रय–पत्र दिनांक 05.10.1970 की प्रमाणित प्रतिलिपी पेश की है। इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कथन है कि कान्हा व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 कल्याणी द्वारा वादग्रस्त आराजी को कभी बेचान नहीं किया गया है तथा अपीलांट द्वारा कथित विक्रय–पत्र दिनांक 5.10.1970 अवैध एवं फर्जी दस्तावेज है, वादग्रस्त आराजी के सम्बंध में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 कल्याणी द्वारा पूर्व में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी में प्रस्तुत वाद में अपीलांट प्रद्युम्न कुमार को प्रतिवादी संख्या 2 के रूप में पक्षकार कायम किया गया, उक्त वाद संख्या 11/72 में भी प्रद्युम्न कुमार अपीलांट द्वारा कोई तथाकथित विक्रय के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 1 कान्हा एवं कल्याणी द्वारा उक्त वाद संख्या 11/72 में तथाकथित विक्रय पत्र दिनांक 05.10.1970 को फर्जी एवं कूटरचित होना स्वीकार किया गया है, अतः तथाकथित फर्जी विक्रय–पत्र दिनांक 05.10.1970 के आधार पर अपीलांट को कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होते है। तथाकथित विक्रय–पत्र दिनांक 05.1.1970 के सम्बंध मे अपीलांट का कथन है कि प्रश्नगत विक्रय–पत्र दिनांक 05.10.1970 एक पंजीकृत दस्तावेज है अतः उक्त रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र दिनांक 05.10.1970 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के मोखिक कथनों के आधार पर अवैध एवं कूटरचित होना स्वीकार नहीं किया जा सकता, अतः अपीलांट प्रश्नगत विक्रय–पत्र दिनांक 05.10.1970 को सक्षम न्यायालय से अवैध घोषित करवाये बिना वादग्रस्त आराजी में किसी प्रकार का हक अधिकार प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है। वादी अपीलांट का यह भी कथन है पंजीकृत विक्रय–पत्र दिनांक 05.10.1970 के आधार पर वादी अपीलांट द्वारा अज्ञानता वश अपने नाम इन्तकाल तस्दीक नहीं करवाया गया तथा इसी दोरान कान्हा की मृत्यु हो जाने के कारण वादग्रस्त आराजी उसकी एकमात्र बहिन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 कल्याणी बाई के नाम दर्ज हो गई। अपीलांट के उक्त कथन के खण्डन में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कथन रहा है कि वादग्रस्त आराजी के सम्बंध में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 कल्याणी द्वारा पूर्व में एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी में प्रस्तुत वाद संख्या 11/72 के विचाराधीन रहते

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा

हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के भाई कान्हा की मृत्यु हो जाने से तथा वादीया कल्याणी अपने भाई मृतक कान्हा की एकमात्र विधिक वारिस होने के कारण सम्पूर्ण आराजी विरासत से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 कल्याणी के नाम दर्ज हुई है। अपीलांट का कथन है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 कल्याणी ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत जवाबदावे में वादग्रस्त आराजी उसके पिता रामा जी की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्री व पुत्र क्रमशः रेस्पोडेन्ट संख्या 1 कल्याणी एवं काना को विरासत से प्राप्त होने का कथन किया गया है, मीणा जाति पुराने हिन्दु उत्तराधिकार कानून से नियंत्रित होने से पुत्र के जीवित होते हुए पुत्री को कोई अधिकार पैतृक सम्पत्ति में प्राप्त नहीं होते है। वादी अपीलांट एवं प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपने अपने कथनों के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत किए है।

हमने पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न प्रदर्श–1 जमाबंदी सम्वत् 2051 से 2054 में वादग्रस्त आराजी कल्याणी पुत्री रामा की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। प्रदर्श–2 बीस रूपये के स्टॉम्प पर उल्लेखित बेचाननामा तहरीर है। प्रदर्श–3 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी के प्रकरण संख्या 11/72 बउनवान कल्याणी बनाम कान्हा की आदेशिका दिनांक 06.07.1983 की प्रमाणित फोटोप्रति है जिसमें दावा खारिज किए जाने का आदेश अंकित है। जमाबंदी सम्वत् 2022 से 2025 के अनुसार वादग्रस्त आराजी रामा बेटा नेनगा की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। जमाबंदी सम्वत् 2030 से 2033, 2034 से 2037, सम्वत् 2038 से 2041 के अनुसार वादग्रस्त आराजी काना वल्द रामा, कल्याणी पुत्री रामा की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। जमाबंदी सम्वत् 2043 से 2046 व सम्वत् 2047 से 2050 के अनुसार वादग्रस्त आराजी कल्याणी पुत्री रामा की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। शुद्ध प्रतिलिपी नामान्तकरण संख्या 85 ग्राम पंचायत विनोद खुर्द के अनुसार वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में रामा वल्द नेनगा के स्थान पर काना वल्द रामा, कल्याणी पुत्री रामा का नाम दर्ज किए जाने का आदेश अंकित है। प्रमाणित फोटोप्रति नामान्तरकरण पंजीका ग्राम विनोद खुर्द तहसील सांगोद के अनुसार नामान्तरकरण संख्या 352 के द्वारा वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में काना वल्द रामा, कल्याणी पुत्री रामा के स्थान पर कल्याणी पुत्री रामा का नाम दर्ज किए जाने का आदेश अंकित है तथा इसी नामान्तरकरण पंजिका के विशेष विवरण के कॉलम संख्या 16 में खातेदार काना के फोत होने तथा उसके कोई सुलभी लड़का व बेवा नहीं होने तथा एकमात्र बहिन कल्याणी बाई मौजूद होने का अंकन है। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो/राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन से प्रकट होता है कि वादग्रस्त आराजी रामा पुत्र नेनगा की खातेदारी में दर्ज थी, रामा की मृत्यु के पश्चात वादग्रस्त आराजी उसके पुत्र काना व पुत्री कल्याणी (रेस्पोडेन्ट संख्या 1) के खाते दर्ज हुई। कल्याणी द्वारा वादग्रस्त आराजी के सम्बंध में विभाजन का वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी में प्रस्तुत किया गया, उक्त वाद संख्या 11/72 में अपीलांट प्रद्युम्न कुमार को प्रतिवादी संख्या 2 के रूप में पक्षकार कायम किया गया। उक्त वाद संख्या 11/72 में दिनांक 04.08.1980 को प्राथमिक डिक्री पारित की गई तथा दिनांक 06.07.1982 को उक्त वाद संख्या 11/72

न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। तत्पश्चात नामान्तरकरण संख्या 352 दिनांक 13.09.1986 के द्वारा वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में काना के स्थान पर विरासत से कल्याणी पुत्री रामा का नाम दर्ज किया गया। नामान्तकरण संख्या 352 दिनांक 13.09.1986 के पश्चात राजस्व रिकॉर्ड में वादग्रस्त आराजी में केवल कल्याणी पुत्री रामा का नाम दर्ज होना प्रकट होता है। अपीलांट ने वादग्रस्त आराजी में प्रश्नगत विक्रय–पत्र दिनांक 05.10.1970 के आधार पर स्वयं का हक अधिकार निहित होने का कथन किया है तथा उक्त विक्रय–पत्र के आधार पर वादग्रस्त आराजी का स्वयं को खातेदार घोषित किए जाने का अनुतोष चाहा है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 कल्याणी बाई ने प्रश्नगत विक्रय–पत्र दिनांक 05.10.1970 को अवैध एवं कूटरचित होने का कथन किया है। प्रश्गनत विक्रय–पत्र दिनांक 05.10.1970 में वादग्रस्त आराजी काना व कल्याणी बाई द्वारा प्रद्युम्न वल्द काना(अपीलांट) को विक्रय किए जाने का अंकन है। पूर्व में प्रस्तुत वाद संख्या 11/72 के विचारण के दौरान ही प्रश्नगत विक्रय–पत्र दिनांक 05.10.1970 के अस्तित्व में होना रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के संज्ञान में आ चुका था।यदि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 प्रश्नगत पंजीकृत दस्तोवेज को अवैध एवं कूटरचित होना मानती है तो ऐसी स्थिति में उक्त पंजीकृत दस्तावेज को सक्षम न्यायालय से निरस्त करवाने हेतु वाद प्रस्तुत किया जाना आवश्यक था। परन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने प्रश्नगत विक्रय–पत्र दिनांक 05.10.1970 को सक्षम न्यायालय में चुनौती दिए जाने के समर्थन में कोई दस्तावेज/साक्ष्य हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है। अतः प्रश्नगत विक्रय–पत्र दिनांक 05.10.1970 आज भी अस्तित्व में है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के मौखिक कथनों के आधार पर प्रश्नगत विक्रय–पत्र दिनांक 05.10.1970 को अवैध एवं कूटरचित होना स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रश्नगत विक्रय–पत्र दिनांक 05.10.1970 एक पंजीकृत दस्तावेज है तथा वर्तमान स्तर पर प्रश्नगत विक्रय–पत्र दिनांक 05.10.1970 की प्रमाणिकता पर प्रथम दृष्ट्या किसी प्रकार का सन्देह किया जाना उचित नहीं है। परन्तु हमारे मत में उक्त पंजीकृत विक्रय–पत्र दिनांक 05.10.1970 के आधार पर अपीलांट के हक अधिकारो का निर्धारण अधीनस्थ न्यायालय में साक्ष्योपरांत ही किया जाना संभव है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 09.04.2025 की आदेशिका में उभयपक्षकारान की ओर से राजीनामा प्रस्तुत किए जाने का अंकन है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उभयपक्षकारान की ओर से प्रस्तुत राजीनामा भी संलग्न है जिस पर दिनांक 27.01.2025 अंकित है। प्रश्नगत राजीनामा दिनांक 27.01.2025 में उभयपक्षकारान द्वारा वादी अपीलांट को खातेदार घोषित किए जाने हेतु सहमत होने का अंकन है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 09.04.2025 में वादग्रस्त आराजी के अन्य खातेदारान के नाम दर्ज होने तथा रिकॉर्डेड खातेदारान के प्रकरण में पक्षकार नहीं होने के कारण प्रकरण में पक्षकारान का असंयोजन होना स्वीकार किया गया है तथा प्रश्नगत प्रकरण में उभयपक्षकारान के अलावा अन्य व्यक्तियों के अभिलिखित खातेदार होने के आधार पर प्रश्नगत राजीनामा दिनांक 27.01.2025 स्वीकार योग्य नहीं होना माना है। परन्तु हमारे मत में यदि प्रश्नगत प्रकरण में उभयपक्षकारान के अलावा अन्य रिकॉर्डेड खातेदार है तो अधीनस्थ न्यायालय स्वयं अपने स्तर पर सी.पी.सी. में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अन्य रिकॉर्डेड

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

अपील संख्या 2025/177
प्रद्युम्न कुमार बनाम कल्याणी वगै0

खातेदारान को प्रकरण में पक्षकार कायम करते हुए तथा साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदार करते हुए प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना कानूनन आवश्यक था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिकॉर्डेड खातेदारान को पक्षकार कायम किए बिना ही प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण करते हुए निर्णय दिनांक 09.04.2025 पारित किया गया है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किए जाने योग्य है। हस्तगत प्रकरण में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत पंजीकृत विक्रय–पत्र दिनांक 05.10.1970 के आधार पर उभयपक्षकारान के हक अधिकारों को लेकर गंभीर एवं महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न अन्तर्निहित है। हमारे मत में उभयपक्षकारान के हक अधिकारों का निर्धारण अधीनस्थ न्यायालय में उभयपक्षकारान की साक्ष्योपरांत ही किया जाना उचित है अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

9. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा के प्रकरण संख्या 66/2000 में पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 09.04.2025 निरस्त की जाती है। प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज समस्त खातेदारान को प्रकरण में आवश्यक रूप से पक्षकार कायम करें। उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करें तथा पंजीकृत विक्रय–पत्र दिनांक 05.10.1970 एवं पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड/दस्तावेजों का अवलोकन करत उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई हेतु दिनांक 24.10.2024 को स्वयं उपस्थित रहे।

10. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलंब लौटाई जाए।

11. निर्णय आज दिनांक 31.07.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

जिला बांरा राज0